



III/निगा०/रीवा/१५/०२२१५ १५

न्यायालय श्री मानराजव महल महोदय, रीवा समाग रीवा म०४०

III/निगा०/रीवा/२०१८/०



अधिकारी सरकारी नं० १६
मिस्ट्री छारा वर्ष १५-१६

I- उटेलाल पटेल तनय बहोरी प्रसाद पटेल आयु ७० साल, पेशा खेती, निवासी
ग्राम महूदपुर, थाना मनावा, तहसील मनावा, जिला -रीवा म०४० — निगराना
बनाम

उग्सेन पटेल पिता रामगोपाल पटेल निवासी ग्राम महूदपुर, तहसील मनावा,
थाना मनावा, जिला -रीवा म०४०।

— गैर निगरानीकार

निगरानीविल्द निष्पि अनुक्रमागीय अधिकारी

तहसील मनावा जिला रीवा म०४० का

66.356: 12016-

निगरानीउत्तरी धारा 50 म०४० भू०

रा० समिति १९५९ इ०।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं—

I- यहांकि अधीनस्थ न्यायालय अनुक्रमागीय अधिकारी महोदय मनावा का
आदेश दिनांक ५-३-२०१८ विधि प्राप्ति के विपरीत होने से विरुद्ध किये जाने
योग्य है।

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/18/02215

छोटेलाल बनाम उग्रसेन

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

20-06-18
रीवा कैम्प

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गयी। आवेदक को मुनवाई दिनांक की जानकारी होने के उपरांत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

20/06/18
सदस्य